

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ..... 31/10/25

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... कुडिया .....  
 व भू.अ.नि. ..... गि.पु.05 ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... / नायब  
 तहसीलदार ..... गि.पु.05 ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... कुडिया ..... तहसील ..... 2.ल.भ.0121 ..... व  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 से (2017) में खाता संख्या ..... 123 ..... में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कुडिया	123	अलुराम पिण्ड्या भगत, हुडीका पतीश्यामल SB13J 2112व गि.पु.05	अलुराम पिण्ड्या भगत, हुडीका पतीश्यामल स्थानाल SB1 2112व गि.पु.05

पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 2.ल.भ.0121

क्रमांक:- 336  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....